कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– /समेकित/13285/2015/यूपी–192, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 11, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 सरक्षित वनभूमि, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 1.863 हे0 वनभूमि एवं हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–295/14–1, दिनांक 02.08.2016

महोदय,

विषयक समेकित प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख संलग्न नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– अलीगढ़ जनपद में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, किन्तु ऑन लाईन पार्ट–2 में आरक्षित वनभूमि का उल्लेख अंकित नही किया गया है।

2– अलीगढ़ जनपद में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। लीज अवधि प्रमाण–पत्र में 35 वर्ष हेतु लीज अपेक्षित है। 30 वर्ष हेतु संशोधित लीज अवधि प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3– उक्त आरक्षित वनभूमि के प्रीमियम एवं लीजरेंट उपलब्ध कराने की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– हाथरस में प्रस्तावित वनभूमि की गणना संलग्न नही है।

5– हाथरस में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नही है।

6– एटा एवं हाथरस में प्रस्तावित वनभूमि की गणना त्रुटिपूर्ण है। इको क्लास के अनुसार संशोधित गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– हाथरस में मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।

8– अलीगढ़ में वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में पत्रांक एवं दिनांक अंकित नही है।

9– ऑन लाईन पार्ट–3 पर संस्तुति अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न नही किया गया है।

10– मानक शर्तो के शासनादेश में 18 के स्थान पर 16 शर्ते ही अंकित है।

11– ऑन लाईन पार्ट–1 के बिन्दु ए–1 (9) में लीज अवधि 35 के स्थान पर 30 वर्ष अंकित करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 315 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा, हाथरस एवं अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उपरौक्तनुसार इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि साउथ ईस्ट उ0प्र0पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लि0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

11/8/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

East U.P. Power Transmission Co. Ltd.
Date 11/08/16
No. 148
File-105